न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 138/2008

1. शिशपाल
2. श्रवण पुपपत्रान गणपतराम जाति अहीर निवासीगण बरकला तन कोठडी लुहारवास तहसील श्रीमाधोपुर हाल मैणास तहसील नवलगढ

—वादीगण

बनाम

1.
1/1 मक्खनलाल
1/2 सज्जनकुमार पुत्रान गणपतराम जाति अहीर निवासीगण ग्राम कलगांव तहसील बुहाना
1/3 बिमलादेवी पुत्री गणपतराम पत्नी यादराम
1/4 मुन्नीदेवी पुत्री गणपतराम पत्नी सहीराम
2. मनकोरी पुत्री गोरूराम पत्नी रामनाथ जाति अहीर निवासी कलगांव तह0 बुहाना
3. सुभाष पुत्र झाबर
4. अशोक पुत्री झाबर जाति अहीर निवासीगण मैणास तहसील नवलगढ
5. लैण्ड होल्डर जरिय तहसीलदार तहसील नवलगढ

—प्रतिवादीगण

दावा: बाबत इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड अं.धारा 88, 91 रा.का.अ.

निर्णय

वकील वादीगण—श्री अशोक कुमार जांगिड
वकील प्रतिवादीगण— ——

निर्णय तिथि 20.05.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 आपस में भाई बन्धु व रिश्तेदार हैं तथा स्व0 गौरूराम के वारिसान है, वादीगण की माता स्व0 अणचीदेवी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 स्व0 गोरूराम की पुत्रियां हैं तथा प्रतिवादी नं. 3 व 4 स्व0 गौरूराम के दतक पुत्र स्व0 झाबरमल के पुत्र व पुत्री हैं। वाके ग्राम मैणास की तन में भूमि ख.न. पुराना 203 रकबा 6 बीघा 14 बिश्वा नये ख.न. 380/1.70 है0 जो स्व0 गोरूराम पुत्र शेराराम जाति अहीर द्वारा छोडी गई पैत्रिक भूमि है स्व0 गौरूराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 3 व 4 के पिता स्व0 झाबर के नाम दर्ज हो गई जो आज तक दर्जशुदा चली आ रही है, नकल जमाबंदी संवत 2016 से 2065 तक मिलान क्षैत्रफल दावे के साथ प्रस्तुत हैं। स्व0 गौरूराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 3 व 4 के पिता स्व0 झाबर के नाम दर्ज हो गई जो आज तक दर्जशुदा चली आ रही है। ख.न. पुराना 203 रकबा 6 बीघा 14 बिश्वा का स्व0 गोरूराम के जीवनकाल में एक दावा उनवानी झाबर बनाम गोरूराम वगैरह न्यायालय हाज में उक्त दावे के निर्णय के बाद राजसव अपील अधिकारी झुन्झुनू के यहां अपील चली थी तथा उसके निर्णय उपरांत उक्त अपील के बाद द्वीतीय अपील अधिकारी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को हुई जिसमें दावे का अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया दावे के दौरान स्व0 गौरूराम व स्व0 झाबरमल का देहान्त हो गया तथा उनके कायम मुकान रिकार्ड पर ले लिये गये माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांकि 21.10.86 के मुताबिक न्यायालय हाजा ने मु0न0 28/73 में आदेश के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर स्व0 गोरूराम की तीनो पुत्रियां अणची रूकमा मनकोरी तथा स्व0 झावर को समान रूप से 3/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिया गया कि उकत प्राथमिक डिक्री अनुसार 3/4, 1/4 हिस्सा कर बंटवारा किया जावे। तहसीलदार नवलगढ ने दिनांक 15.03.88 को उक्त भूमि ख.न. पुराना 203 रकबा 6 बीघा 14 बिश्वा ख.न. 380 रकबा 1.70 है0 का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

गया जिसके अनुसार ख.न. 380 के बट्टा नम्बर बनाकर 380/1/1.28 है0 स्व0 गौरूराम की तीनों पुत्रियां अणची रूकमा मनकोरी का तथा 380/2/0.42है0 स्व0 झाबर के वारिस सुभाष वं अशोक का किया गया तथा उसी अनुसार अंतिम डिक्री दिनाकि 28.06.88 को जारी की गई प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री दावे के साथ प्रस्तुत है।

अंतिम डिक्री जारी होने के बाद पक्षकारान द्वारा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो गये तथा उसी अनुसार काश्त करते रहे लेकिन उक्त आदेश की पालना नही हो पाई क्योंकि दौराने दावा झाबर व गौरूराम फौत हो चुके थे और गोरू के तीनों पुत्रियां अनपढ थी व इस कारण कानून का ध्यान नही होने के कारण कोई इजराय प्रस्तुत नही की गई जब जब वादीगण की माता अणचीदेवी का स्वर्गवास हुआ तो जब पटवारीजी पास गया नामा0 करवाने गये तब वादीगण को पता चला कि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड आज भी स्व0 झाबरमल के नाम से गलत चला आ रहा है उक्त डिक्री दिनांक 26.06.88 की पालना नही हुई हालांकि इस गलत राजस्व रिकार्ड से वादीगण व प्रतिवादीगण के उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त में कोई फर्क नही पडता है परन्तु इस गलत अंकन से भवष्यि में चलकर वादीगण के अधिकारों पर कभी भी कुठाराघात हो सकता है ऐसी हालत में वाद बाबत इश्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व में स्व0 गौरूराम के नाम से दर्जशुदा थी दोराने दावा गोरूराम का देहान्त हो गया तब दावे में गोरूराम के कायम मुकाम रिकार्ड पर आ गये लेक़िन राजस्व रिकार्ड में गोदनामा के आधार पर गोरूराम के स्थान पर झाबरमल का नाम इंतकाल सं0 175 दर्ज हो गया इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि स्व0 झाबर के नाम दर्ज हो गई, जबकि झाबर का हिस्सा 1/4 होना चाहिये था तथा 3/4 हिस्सा स्व0 गोरूराम की तीनों पुत्रियो के नाम भरा जाना चाहिये था परन्तु अकेले झाबरमल के नाम दर्ज हो गई जो गलत दर्ज हुई तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 21.10.86 को जो आदेश हुआ वह भी स्व0 झाबर का 1/4 हिस्सा व 3/4 हिस्सा स्व0 गौरूराम की तीनो पुत्रियों का हुआ तथा उसी अनुसार दिनांक 18.06.88 को अंतिम डिक्री जारी हुई परन्तु अंतिम डिक्री की पालना नही होने की वजह से राजस्व रिकार्ड पूव की तरह स्व0 झाबरमल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत होगा ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत इश्तकरारहक व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

भूमि ख.न. 203 रकबा 6 बीघा 14 बिश्वा नया ख.न. 380/1.70 है0 जिसकी डिक्री दिनांक 18.06.88 के मुताबिक 1/4 हिस्सा स्व0 झाबर के वारिस सुभाष व अशोकदेवी के नाम से बनी जिसमें सुभाष का हिस्सा 1/8 था यानिकी 0.21 है0 जिसको सुभाष ने डिक्री के आधार पर वादी नं. 1 शिशपाल पुत्र गणपतराम को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.01.91 को विक्रय कर दी थी जिसका विक्रय पत्र उप पंजियक नवलगढ मे तस्दीक व तकमील करवा दिया तथा कब्जा भी उसी रोज सोंप दियाथा तब से लेकर अब तक कब्जा काश्त वादी शिशपाल काहै परन्तु कानून क जानकारी नही होने के कारण उस वक्त भी वादी शिशपाल अनपढ होने के कारण उक्त विक्रय पत्र के आधर पर नामा0 नही करवा सका और राजस्व रिकार्ड पूर्व की तरह स्व0 झाबरमल के नाम से गलत रूप से चलता रहा है हालांकि इसे गलत राजस्व रिकार्ड से वादी नं. 1 के अधिकारो पर कोई फर्क नही पडता है परन्तु इस गलत अंकन से वादी के अधिकारों पर कभी भी कुठाराघात हो सकता है ऐसी हालत में वादी के लिये यह दावा बाबत इश्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हो गया।

भूमि ख.न. 203 रकबा 6 बीघा 14 बिश्वा जिसके नये ख.न. 380/1.70 है0 है। मुताबिक आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 21.10.86 के मुताबिक वादी नं. 1 व 2 का 1/8, 1/8 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी नं. 3 व 4 का 1/8, 1/8 हिस्सा है उक्त भूमि में से प्रतिवादी नं. 3 ने अपने हिस्से की 1/8 भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.01.91 को वादी नं. 1 को विक्रय करदी अर्थात वादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार हो गया। उसके मुताबिक खातेदार काश्तकार न्यायोचित है। अतः इस्तदुआ वादी यह है कि दावा हाजा की डिक्री व बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि भूमि ख.न पुराना 203 नया 380 रकबा 1.70 है0 वाके ग्राम मैणास की सरहद में स्थित भूमि का वादी नं. 1 को 1/4 हिस्से तथा वादी नं. 2 को 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी नं. 4 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड मं अमल दरामद किया जाने का आदेश प्रदान करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

ाई गई। अतः शहादत वादीगण ली गई। तथा इस संबंध में तहसीलदार नवलगढ से मौका रिपोर्ट ाप्त की गई जिसमें वर्णित किया गया कि विवादित भूमि ख.न. 380/1.70 है0 का मौका निरीक्षण ्या गया । वादी शिशपाल पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी बरकला तन कोटडी लुआरवास हसील श्रीमाधोपुर हाल मैनास तहसील नवलगढ व पडौसी मौके पर मौजूद मिले शेष वादी व प्रतिवादी उपस्थित नही मिले। वर्णित ख.न. की खातेदारी झाबरमल पुत्र पि0 मु0 गोरू कोम अहीर सा.देह के नाम दर्ज जमाबंदी है। मौके पर मिली जानकारी के अनुसार उक्त ख.न. पर शिशपाल पुत्र गणपतराम जाति अहर निवासी बरकला तन कोटडी लुहारवास तहसील श्रीमाधोपुर हाल मैनास तहसील नवलगढ का कब्जा काश्त है तथा चने की फसल काश्त कर रखी है वर्णित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने तथा ाहादत वादीगण ली जाकर बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबंदी ग्राम मैनास संवत 2016 से 2019 तथा 2023 से 2026 के अनुसार भूमि ख.न. 203 रकबा 6 बीघा 14 बिश्वा की खातेदारी गोरू पुत्र शेरा जाति अहीर निवासी ग्राम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम मैनास संवत 2031 से 2034 के अनुसार झाबर पि0मु0 गोरू हीर दर्ज रिकार्ड है जिसके आगे नोट ई.न. 175 दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम मैनास के अनुसार गत ख.न. 203 स नये ख.न. 380/1.70 है0 बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी ग्राम मैनास संवत 2043 से 2046, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059 तथा संवत 2064 से 2067 के अनुसार ख.न. 380 रकबां 1.70 है0 की खातेदारी झाबरमल पि0 मु0 गोरू कौम अहीर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.91 के अनुसार सुभाष पुत्र झाबर जाति अहीर निवी मैनास द्वारा ग्राम मैनास में स्थित भूमि ख.न. 380 रकबा 1.70 है0 में अपना 1/8 हिस्सा जिसे शिशपाल पुत्र गणपत को विक्रय किया गया है। नकल न्यायालय हाजा के वाद सं0 28/73 नि.दि. 21.10.86 की पालना में जारी डिक्री का अवलोकन किया गया जिसमें भूमि ख.न. 380/1.70 है0 में अणची, रूकमा, मनकोरी पुत्रियां गोरू अहीर निवासी मैनास के हिस्से में उनके 3/4 हिस्सा भूमि तथा सुभाष अशोक पुत्रान झाबर अहीर निवासी मैनास के हिस्से में 1/4 हिस्से की भूमि की घोषणा की गई है। सुभाष द्वारा अपने 1/8 हिस्से की भूमि वादी सं 1 को विक्रय किया गया है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम मैनास की भूमि ख.न. 380 रकबा 1.70 है0 में वादी नं. 1 को 1/4 हिस्से का, वादी नं. 2 को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 4 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से केस हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0)

दावाः बाबत इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड अं.धारा 88, 91 रा.का.अ.

मुकदमा सं0:– 138/2008 (शिशपाल आदि बनाम मक्खन आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), पखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण नजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.05.2019 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम मैनास ी भूमि ख.न. 380 रकबा 1.70 है0 में वादी नं. 1 को 1/4 हिस्से का, वादी नं. 2 को 1/8 हिस्से का, तिवादी नं. 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 4 को 1/8 हिस्से का खातेदार ाश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक ाषितं खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद शरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।
बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 20 माह . 05 सन ..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0.00
मुतफरिक मिजान	27.00	मुतफरिक मिजान	

Scanned by CamScanner